



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2008/ज्येष्ठ 23, 1930

No. 10]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2008/JYAISTHA 23, 1930

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 13 जून, 2008

New Delhi, the 13th June, 2008

का.नि.आ. 14(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 जून, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

S.R.O. 14(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby appoints the 15th day of June, 2008, as the date on which the provisions of the Act shall come into force.

[फा. सं. 7(11)/2008-डी (एफटी सेल)]

[F.No.7(11)/2008-D(AFT Cell)]

सुमन के. शर्मा, अवर सचिव

SUMAN K. SHARMA, Under Secy.